आदेश

दिनांक 27.11.2018 को सम्पन्न महानिदेशक चयन पर्षद की पूरक बैठक में आयुधिक जमादार से आयुधिक सुबेदार की कोटि में प्रोन्नति हेतु योग्य घोषित निम्नांकित आयुधिक जमादार को दिनांक 13.12.2018 को सम्पन्न आयुधिक संवर्ग स्थानान्तरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में आयुधिक सुबेदार की कोटि (वेतनमान पी0बी0–II 9,300–34,800 एवं ग्रेड पे–4,600, 7वें पुनरीक्षित वेतनमान के तहत पे–मैट्रिक्स–लेवल–7) में आदेश निर्गत की तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–03 में अंकित वर्तमान पदस्थापन स्थान से तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए सतम्भ–04 में अंकित जिला/वाहिनी/ईकाई में पदस्थापित किया जाता है।

क्र0सं0	नव प्रोन्नत आयुधिक सुबेदार का नाम	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरित जिला/वाहिनी/ईकाई
1	2	3	4
1	विनय कुमार शर्मा	झा0स0पु0–1, राँची	केन्द्रीय आयुध कर्मशाला–सह–प्रशिक्षण केन्द्र, होटवार, राँची
2	प्रभाष चन्द्र सिंह	जमशेदपुर जिला	झा0स0पु0–1, राँची
3	सत्येन्द्र तिवारी	गुमला जिला	झा0स0पु0–5, देवघर
4	अरूण कुमार सिंह	सिमडेगा जिला	केन्द्रीय भण्डार, होटवार, राँची
5	विजय कुमार राय	रामगढ़ जिला	पलामू जिला

2. प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।
3. उपर्युक्त नव प्रोन्नत आयुधिक सूबेदारों को 03 (तीन) माह के अन्दर 01 (एक) माह के विभागीय तकनीकी प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना होगा, अन्यथा उन्हें मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
4. उक्त प्रोन्नति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि सेवा अभिलेख एवं माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में इनसे वरीय किसी आयुधिक जमादार को प्रोन्नति प्रदान की जाती है तो आयुधिक सुबेदार की कोटि में इनकी वरीयता प्रभावित होगी।
5. उक्त नवप्रोन्नत आयुधिक सुबेदार के विरूद्ध इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के पूर्व का यदि कोई न्यायिक मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो, तथा विभागीय कार्यवाही लम्बित हो अथवा उन्हें कोई वृहत् दण्ड संसूचित हो, जिसके आरोप के घटना की तिथि आदेश निर्गत की तिथि के तीन वर्ष के भीतर की हो, तो उन्हें यह प्रोन्नति देय नहीं होगी। ऐसे मामलों में सम्बन्धित पुलिस उप–महानिरीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/ समादेष्टा, जाँचोपरान्त क्षेत्रादेश/जिलादेश रोककर पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को विचारार्थ प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
6. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा को निदेशित किया जाता है कि उक्त सभी नवप्रोन्नत आयुधिक सुबेदारों को अविलम्ब स्थानान्तरित जिला/वाहिनी/ईकाई के लिए विरमित करते हुए भौतिक रूप से प्रस्थान कराना सुनिश्चित करेंगे, तथा अनुपालन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायेंगे।

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के आदेशानुसार।

पुलिस महानिरीक्षक(प्रोविजन)
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1429 /टी0एस0
02.01.2016

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखंड, राँची।
राँची, दिनांक :– 17/12/2018.

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस महानिरीक्षक, झा0स0पु0, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
2. संबंधित सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
3. वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची/जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, पलामू/गुमला/सिमडेगा/रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
5. समादेष्टा, झा0स0पु0–1, राँची/झा0स0पु0–5, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
6. पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, होटवार, राँची एवं प्रभारी केन्द्रीय आयुध कर्मशाला–सह–प्रशिक्षण केन्द्र, होटवार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
7. प्रभारी, डाटा सेंटर, पुलिस नुख्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

पुलिस महानिरीक्षक(प्रोविजन)
झारखण्ड, राँची।